



2026:AHC:38815

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3485 / 2026

रामसनेही व 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 19 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभय राज, राय साहब यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्तागण द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत अधीनस्थ न्यायालय, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 को मुकदमा संख्या C202314000000638 (रामसनेही व अन्य बनाम विजयबहादुर व अन्य) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।
3. अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पूरी याचिका में ऐसी किसी भी असाधारण स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त मामले को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2023 में दायर किया गया है।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। हालांकि, अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त मामले को कानून के अनुसार कड़ाई से और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना निस्तारित करे, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

20 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"